भारतीय संविधान का निर्माण [Making of the Indian Constitution]

संविधान सभा की मांग :

संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम० एन० रॉय द्वारा 1934 ई० में रखा गया था। 1938 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।

1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1946 ई० के कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 ई० में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर (दस लाख पर एक) प्रतिनिधि निर्धारित किए गए।

संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या = 389

363

292 सदस्य :- ब्रिटिश भारत [निर्वाचित सदस्य]

93 सदस्य :- देशी रियासत [मनोनित सदस्य]

4 सदस्य :- कमिश्नरी [निर्वाचित सदस्य]
[अजमेर, बलुचिस्तान, कुर्ग (कर्नाटक), दिल्ली]

389 सदस्य

(2) संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई- अगस्त 1946 ई० में हुआ था। संविधान

296 सीट हेतु :- 208 → भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
73 → मुस्लिम लीग
15 :- छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों
296 सदस्य

संविधान सभा का कार्यकरण :-

पहली बैठक :- Dec 9, 1946
अस्थायी अध्यक्ष :- [डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा]
दूसरी बैठक :- Dec 11, 1946
स्थायी अध्यक्ष :- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
तीसरी बैठक :- Dec 13, 1946 [जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव (उद्देशिका) प्रस्तुत किया था]
संवैधानिक सलाहकार :- बी० एन० राव
उपाध्यक्ष :- H.C. मुखर्जी
संविधान को बनने में लगा समय :- 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
संविधान सभा का प्रतीक (मुहर) :- हाथी

संविधान को 26 नवम्बर 1949 ई० को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया (3)
तथा 26 Jan 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया।

संविधान सभा द्वारा स्वीकृति :→

22 जुलाई, 1947 :- राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा)
24 जनवरी, 1950 :- राष्ट्रीय गान (जन गण मन)
24 जनवरी, 1950 :- राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्)

राष्ट्र चिह्न :- सारनाथ (वाराणसी) स्थित अशोक स्तंभ – 26 Jan 1950
राष्ट्रीय पंचांग – शकसंवत् कैलेंडर – 22 March 1957

प्रमुख तथ्य :-

* संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गाँधी को श्रद्धांजलि दी गई।
* भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
* संविधान के पृष्ठों (हिंदी संस्करण) को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया।
* अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
* संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने 11 अधिवेशनों (सत्रों) में किया जिसमें कुल 165 दिन सभा की बैठकें हुईं।
* एच० वी० आर० आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया।

(4) * एस० एन० मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्ट्समैन) नियुक्त किया गया था।

प्रारूप समिति : गठन :- 29 अगस्त 1947.

कुल सदस्य :- 7

1. डॉ० बी० आर० अंबेडकर (अध्यक्ष)
2. एन० गोपालस्वामी आयंगार
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
4. सैयद मो० सादुल्ला
5. एन० माधवराव [बी० एल० मित्र की जगह, स्वास्थ्य कारण]
6. टी० टी० कृष्णामाचारी [डी० पी० खेतान की जगह, 1948 में मृत्यु]
7. डॉ० के० एम० मुंशी

संविधान सभा की समितियाँ एवं अध्यक्ष

समिति	अध्यक्ष
संचालन समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
रियासत समिति	पं० जवाहर लाल नेहरू
संघ संविधान समिति	
रियासत समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

संविधान सभा की समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

समिति	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	पं० जवाहरलाल नेहरू
प्रारूप समिति	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर
प्रांतीय संविधान समिति	वल्लभ भाई पटेल
झण्डा समिति	जे० बी० कृपलानी
सदन समिति	पट्टाभि सीतारमैय्या
कार्य संचालन समिति	डॉ० के० एम० मुंशी

✡ स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का प्रथम अधिवेशन :-

विभाग	अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल
राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले	जवाहर लाल नेहरू	जवाहरलाल नेहरू
गृह, सूचना एवं प्रसारण	सरदार वल्लभभाई पटेल	सरदार वल्लभ भाई पटेल
स्वास्थ्य एवं कृषि	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
वित्त	लियाकत अली खाँ (मुस्लिम लीग)	आर० के० षणमुखम चेट्टी

⑥

विभाग	अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल
शिक्षा	सी० राजगोपालाचारी	मौलाना अबुल कलाम आजाद
उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति	जॉन मथाई	डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी
विधि	जोगेंद्रनाथ मंडल (मुस्लिम लीग)	डॉ० बी० आर० अंबेडकर
रक्षा	सरकार बलदेव सिंह	सरदार बलदेव सिंह
कार्य, खान एवं ऊर्जा	सी० एच० भाभा	वी० एन० गाडगिल
रेलवे एवं परिवहन	आसफ अली	जॉन मथाई
श्रम	जगजीवन राम	जगजीवन राम
वाणिज्य	आई० आई० चुंदरीगर (मुस्लिम लीग)	सी० एच० भाभा

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
[Salient Features of the Constitution]

विशेषताएँ :-

(i) लिखित एवं निर्मित संविधान (ii) विश्व का सबसे बड़ा संविधान
(iii) संविधान की प्रस्तावना (iv) भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश (v) कठोर तथा लचीलेपन का संविधान में समन्वय (vi) संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य
(vii) लोकतंत्रात्मक राज्य (viii) गणतंत्र राज्य (ix) संसदीय सरकार (x) समाजवादी व्यवस्था
(xi) धर्मनिरपेक्ष राज्य (xii) संघात्मक व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था का समन्वय
(xiii) एकीकृत न्याय व्यवस्था (xiv) वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार

✡ संविधान के स्रोत :

स्रोत	प्रावधान
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, एकल विधि का शासन, नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था
संयुक्त राज्य अमेरिका	मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग; उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन

(8)

स्रोत	प्रावधान
आयरलैंड	राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राज्य के नीति-नि[र्देशक] सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाजसेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन
कनाडा	राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति विभाजन (केंद्र एवं राज्य के बीच), अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
द० अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया
फ्रांस	स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था
ऑस्ट्रेलिया	संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता
जर्मनी (वाइमर संविधान) :-	आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन
जापान :-	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
पूर्व सोवियत संघ :-	मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श
1935 ई० का भारत शासन अधिनियम :-	संघात्मक व्यवस्था, आपात उपबंध

भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद

भाग	भाग का नाम	अनुच्छेद
भाग-1	संघ और उसका राज्यक्षेत्र	अनु० (1-4)
भाग-2	नागरिकता	अनु० (5-11)
भाग-3	मौलिक अधिकार	अनु० (12-35)
भाग-4	राज्य के नीति निदेशक तत्व	अनु० (36-51)
भाग-4(क)	मूल कर्तव्य	अनु० (51 A)
भाग-5	संघ	अनु० (52-151)
भाग-6	राज्य	अनु० (152-237)
भाग-7	पहली अनुसूची के भाग (ख) के राज्य	अनु० 238
भाग-8	संघ-राज्य क्षेत्र	अनु० (239-243)
भाग-9	पंचायतें	अनु० ['243A'-'243O']
भाग-9(क)	नगरपालिकायें	अनु० (243P'-243ZG]
भाग-10	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र	अनु० (244), 244'A'

(10)

भाग – 11	संघ और राज्यों के बीच संबंध	अनु० (245–263)
भाग – 12	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद	अनु० (264–300A)
भाग – 13	भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम	अनु० (301–307)
भाग – 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	अनु० (308–323)
भाग – 14 'A'	अधिकरण	अनु० (323 A – 323 B)
भाग – 15	निर्वाचन	अनु० (324 – 329 'A')
भाग – 16	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	अनु० (330 – 342)
भाग – 17	राजभाषा	अनु० (345 – 351)
भाग – 18	आपात उपबंध	अनु० (352 – 360)
भाग – 19	प्रकीर्ण	अनु० (361 – 367)
भाग – 20	संविधान का संशोधन	अनु० 368
भाग – 21	अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	अनु० (369 – 392)
भाग – 22	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	अनु० (393 – 395)

अनुसूचियाँ एवं उनसे संबंधित विषय :

क्रमांक संख्या	विषय :
पहली अनुसूची	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है।
दूसरी अनुसूची	वेतन और भत्ते : जैसे :- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य-विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, CAG
तीसरी अनुसूची	शपथ - मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि
चौथी अनुसूची	राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का ~~[illegible]~~ प्रावधान।
पाँचवी अनुसूची	अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के ~~[illegible]~~ क्षेत्रों के लिए विशेष शासन का प्रबंध।
छठी अनुसूची	4 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष शासन का प्रबंध : असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम

(12) सातवीं अनुसूची: केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का [illegible] विभाजन।

	राज्य सूची	केन्द्र सूची	समवर्ती सूची
अब	100 विषय	61 विषय	47 विषय
पहले	97 ,,	66 ,,	52 ,,

आठवीं अनुसूची: संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाएँ - 14+1+3+4 = 22

सिंधी - 21st Amendment 1967

कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली - 71th Amendment 1992

मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो - 92nd Amendment 2003.

नौवीं अनुसूची: भूमिसुधार संबंधी रूट, न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी - नौवीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया।

दसवीं अनुसूची: दल-बदल संबंधी प्रावधानों तथा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दसवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।

ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायती राज अधिनियम - इसमें 29 विषय हैं तथा इसे 73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं की शक्तियाँ। इसमें 18 विषय हैं तथा इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।